



डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय

DR. A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY

(Formerly UP Technical University)

सेक्टर-11, जनकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031— Sector-11, Jankipuram Extension Yojna, Lucknow

पत्रांक: ए०के०टी०यू/कुस०का०/व्य०अ०/2024/3171

दिनांक: 19/7/2024

सेवा में,

अध्यक्ष/निदेशक

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
उ०प्र० से सम्बद्ध समस्त संस्थायें।

विषय: प्रदेश में दिनांक: 16 जुलाई, 2024 से 22 जुलाई, 2024 तक "भूजल सप्ताह" प्रभावी ढंग से आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशक भूगर्भ जल विभाग उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक : 377/भू०ज०वि०/जी-30(भूजल सप्ताह) दिनांक 15 जुलाई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

तदक्रम में अवगत कराना है कि गत वर्षों की भाँति शासनादेश सं०- 571/76-3-2024-830/98, दिनांक 01 जुलाई 2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में भूजल जागरूकता के उद्देश्य से सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 16 जुलाई से 22 जुलाई, 2024 के मध्य "भूजल सप्ताह" का आयोजन किया जा रहा है। जिसका मुख्य विचार बिन्दु "जल संरक्षण का करो प्रयास-जल ही है जीवन की आस" रखा गया है।

अतः उपरोक्त शासनादेश में निहित प्रविधानों के अर्न्तगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों से अनुरोध है कि दिनांक 16 जुलाई, 2024 से 22 जुलाई, 2024 तक "भूजल सप्ताह" के अवसर पर भूजल जन-जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए "भूजल सप्ताह" को प्रभावी ढंग से आयोजित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय
(रीना सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी, ई०आर०पी०, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
2. उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, उ०प्र०, शासन।
3. निदेशक भूगर्भ जल विभाग, हरिहरपुर, शहीद पथ, उ०प्र०, लखनऊ।
4. उप कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
5. स्टॉफ ऑफिसर ए०के०टी०यू०, लखनऊ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रेषक,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश
भूजल भवन (रा०भू०सू०प्र०के०),
हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ-226002

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संख्या-377/भू०ज०वि०/जी-30(भूजल सप्ताह),

दिनांक/लखनऊ/जुलाई 02, 2024

विषय:- प्रदेश में दिनांक 16 जुलाई से 22 जुलाई, 2024 तक "भूजल सप्ताह" का प्रभावी ढंग से आयोजन किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि गत वर्षों की भाँति शासनादेश सं०-571/76-3-2024-830/98, दिनांक 01 जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में भूजल जागरूकता के उद्देश्य से सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2024 के मध्य "भूजल सप्ताह" का आयोजन किया जा रहा है। जिसका मुख्य विचार बिन्दु "जल संरक्षण का करो प्रयास -जल ही है जीवन की आस" रखा गया है।

अतएव उक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 16 जुलाई से 22 जुलाई, 2024 "भूजल सप्ताह" के अवसर पर भूजल जन-जागरूकता हेतु कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आवश्यक प्रयास करते हुए "भूजल सप्ताह" का प्रभावी ढंग से आयोजन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ० राजेश कुमार प्रजापति)
निदेशक।

संख्या- /भू०ज०वि०, तदिनांक।

प्रतिलिपि- उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ प्रेषित है।

(डॉ० राजेश कुमार प्रजापति)
निदेशक।

5640
09/07/24

Registrar

719
08/07/24

DR(D)/व्यवस्थाधिकारी

8.7.24

Reg
8/7/24

व्यवस्थाधिकारी

09/07/24

Dr. Harshini
मुख्य सचिव
09/07/24

संख्या- 571/76-3-2024-830/98

प्रेषक

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3

दिनांक: लखनऊ: 01/07/2024

विषय: प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2024 तक "भूजल सप्ताह" का आयोजन।

महोदय,

जल प्रकृति का वह अनुपम उपहार है, जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं लगभग 70% सिंचाई हेतु भूजल संसाधन पर निर्भरता के कारण जल संसाधनों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, एवं अनेक क्षेत्रों में भूजल के अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है। वर्ष 2000 में प्रदेश के सुरक्षित विकास खण्डों की संख्या 745 थी जो वर्ष 2023 के आंकलन के अनुसार घटकर 559 हो चुकी है। साथ ही वर्ष 2000 में प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों की संख्या मात्र 20 थी, जो अब लगभग पांच गुना बढ़कर वर्तमान आंकलन में 95 पहुँच चुकी है। भूजल संसाधन के नवीनतम आंकलन-2023 के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 53 विकासखण्ड अतिदोहित, 42 विकासखण्ड क्रिटिकल एवम् 172 विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गये हैं।

2. भूजल का समेकित प्रबन्धन एवम् नियोजित विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है। जहाँ एक ओर रिचार्जिंग के विभिन्न कार्य यथा-तालाबों का निर्माण एवम् जीर्णोद्धार, चेकडैम का निर्माण, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना आदि तथा सिंचाई में जल के बेहतर उपयोग हेतु कम जल खपत वाली विधियाँ जैसे कि ड्रिप एवम् स्पिंकलर प्रणाली को प्रोत्साहन इत्यादि के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं विभिन्न क्षेत्रों में अनियंत्रित एवम् अविवेकपूर्ण भूजल दोहन को विनियमन की परिधि में भी लाया गया है। विनियमन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 प्रख्यापित किया गया है, जो प्रदेश में 02 अक्टूबर-2019 से लागू है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला भूजल प्रबन्धन परिषद् के द्वारा जनपद में न केवल अनियंत्रित दोहन पर रोक लगी है अपितु भूजल प्रदुषण के भी रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। भूजल प्रबन्धन की दिशा में उठाये जा रहे इन्हीं समग्र प्रयासों का प्रतिफल है कि विगत 05 वर्षों में न केवल प्रदेश के 34 विकास खण्ड संकटग्रस्त स्थिति से बाहर आये हैं अपितु प्रदेश के 36 जनपदों के औसत भूजल स्तर गिरावट में कमी आयी है। इन प्रयासों की निरन्तरता को बनाये रखना है।

3. आप अवगत हैं कि जल शक्ति अभियान-2 का शुभारम्भ 09 मार्च, 2024 को माओ जल शक्ति मंत्री जी द्वारा किया गया है। यह अभियान देश के सभी ग्रामीण एवम् शहरी क्षेत्रों में एक साथ "नारी शक्ति से जल शक्ति" थीम के साथ प्रारम्भ किया गया है। अभियान की अवधि 09 मार्च, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक निर्धारित किया गया है। अभियान का उद्देश्य मानसून के प्रारम्भ से पहले कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, वर्तमान तालाबों और जल निकायों को पुनर्जीवित करके नए जल निकायों का निर्माण, चेकडैमों का पुनरोद्धार, आद्रभूमि तथा नदियों का कायाकल्प करके वर्षा जल का संचय करना है। प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी से यह भी अपेक्षा है कि जल संचयन के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभागों यथा ग्राम्य विकास विभाग, वन संरक्षण, पर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन विभाग, सिंचाई एवम् जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान एवम् खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन तथा लघु सिंचाई विभाग को अपने स्तर से निर्देशित करते हुए इस अभियान को अपने-अपने स्तर पर सफल बनायें।

4. आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भीय जल की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य "भूजल सप्ताह" का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या-732/62-1-2012-830/98, दिनांक 05 जून, 2012 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में भूजल जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए गए हैं तथा प्रत्येक वर्ष दिए जाते रहे हैं। वर्ष 2024 में भूजल सप्ताह की सफलता हेतु आपसे निम्नवत् अपेक्षाएं हैं:-

- (अ) वर्तमान में भूजल जल विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय मण्डल स्तर पर ही स्थापित है, जबकि "भूजल सप्ताह" का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाना है। इसके दृष्टिगत जनपद स्तर पर अवस्थित लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता इस आयोजन के जनपदीय नोडल अधिकारी एवम् मण्डल स्तर पर भूगर्भीय जल विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, मण्डलीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- (ब) बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं अन्य राजकीय शिक्षण संस्थाएं इस आयोजन हेतु अपने नियंत्रणाधीन स्कूल-कालेजों, विश्वविद्यालयों व शैक्षिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे और उक्त आयोजन का अनुश्रवण करेंगे।
- (स) शहरी क्षेत्रों में आवास एवम् शहरी नियोजन विभाग अपने अधीनस्थ प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि के माध्यम से इस आयोजन की अवधि में व्यापक प्रचार-प्रसार एवम् जन-जागरूकता हेतु पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन करायेंगे।
- (द) जन सामान्य की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय संस्थानों/प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों एवम् स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों का भी यथा सम्भव सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय। विशेष रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला विज्ञान क्लब, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, शिक्षा मित्र, आंगनवाडी केन्द्र, जल उपभोक्ता समितियाँ, रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, इण्डियन आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, इन्सटीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, युवा मंगल दल, देहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों को भी इस आयोजन से जोड़ने का प्रयास किया जाय तथा इस आयोजन को सफल बनाये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय।

5. इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों की विशेष भूमिका है। जनपद स्तर पर पूरे सप्ताह मनाये जाने वाले इस आयोजन की कार्ययोजना इस प्रकार बनायी जाये कि भूजल संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुँचे और वह इसके प्रति

संवेदनशील बन सके। समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर पर चूंकि भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी तैनात नहीं हैं, अतएव अन्य सम्बन्धित विभागों यथा-कृषि, सिंचाई, लघु सिंचाई, विकास प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका, आवास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उओप्रओ जल निगम, लोक निर्माण, उद्यान, शिक्षा विभाग आदि के सहयोग से इस पुनीत कार्यक्रम को सफल बनाया जाय। उद्देश्यों की सफलता पूर्वक पूर्ति हो सके।

6. इस वर्ष भूजल ससाह के आयोजन का मुख्य विचार बिन्दु "जल संरक्षण का करो प्रयास - जल ही है जीवन की आस" रखा गया है, जिस पर उक्त आयोजन केन्द्रित रहेगा।

7. अस्तु, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2024 के मध्य सम्पूर्ण प्रदेश में उपरोक्तानुसार 'भूजल ससाह' का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Durga Shanker Mishra

Date: 30-06-2024 16:57:33

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव

संख्या: 571(1)/76-3-2024/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफीसर, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. आयुक्त, समस्त नगर निगम।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव